महावितरण (TM)
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
(महाराष्ट्र शासन उपक्रम)
सीआयएन : यु४०१०९एमएच२००५एसजीसी१५३६४५
दुरध्वनी क्र. २६४७४७५३ (वै)/२६४७४२११ (का)
फॅक्स क्र. २६४७२३६६
ईमेल : cecomm@mahadiscom.in
संकेतस्थळ : www.mahadiscom.in
प्लॉट क्र. जी-९, प्रकाशगड
प्रो. अनंत काणेकर मार्ग,
वांद्रे (पूर्व)
मुंबई- ४०० ०५१

**पी.आर-३/सबसिडी/४०१४१** **दिनांक :२६/११/२०१५.**

# वाणिज्य परिपत्रक क्र. २५३

**विषय :-** सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील पिकांची हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या गावांमध्ये विविध उपाययोजना जाहीर करण्याबाबत.

- **विज बिलात ३३.५ टक्के इतकी सवलत व दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर केलेल्या गावातील कृषी पंपाचा वीज पुरवठा खंडीत न करणे.**

**संदर्भ :-** शासन निर्णय क्र. एससीवाय २०१५/प्र.क्र.३११/म-७ दिनांक २०/१०/२०१५.

शासनाने संदर्भातील शासन निर्णयान्वये सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील पिकांची हंगामी पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी असलेल्या १४७०८ (परिशिष्ट-'अ') गावांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर केलेली आहे. शासनाने सदर निर्णयानुसार टंचाईसदृश्य गावांमध्ये खालीलप्रमाणे सवलती लागु करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.

१) दुष्काळसदृश्य गावातील कृषी ग्राहकांना वीज बिलात शासनाच्या प्रचलित सवलतीच्या दरामध्ये ३३.५टक्के सुट देण्यात यावी.

२) दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.

सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना कळविण्यात येते की, शासनाच्या वरील आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच शासनाच्या आदेशानुसार स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातुन सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील हंगामी पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी आलेली आहे अशा गावांची यादी प्राप्त करावी. शासन निर्णयानुसार टंचाईसदृश्य गावांतील (परिशिष्ट अ) कृषी ग्राहकांना सन २०१५-१६ या वर्षात विज देयकात ३३.५ टक्के सवलत दिल्यामुळे शासनावर पडणा-या आर्थिक भाराच्या रकमेची परिगणना माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने करावी जेणेकरुन शासनाकडे प्रतिपूर्तीच्या रकमेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.

**सहपत्र :-** वरीलप्रमाणे.

**मुख्य अभियंता (वाणिज्य)**

**प्रत सस्नेह रवाना :-**

१) सर्व मुख्य अभियंता, सं व सु परिमंडळ (महावितरण)

२) मुख्य महाव्यवस्थापक (माहिती व तंत्रज्ञान), महावितरण, मुंबई.

-- आपणांस कळविण्यात येते की, वरील विषया संदर्भात टंचाईसदृश्य गावांतील कृषी ग्राहकांना सन २०१५-१६ च्या वीज बिलात शासनाच्या प्रचलित सवलतीच्या दरामध्ये ३३.५ टक्के सवलत देण्यात यावी व दिलेल्या सवलतीपोटी वितरण कंपनीवर पडणा-या आर्थिक भाराची परिमंडळ व ग्राहक संख्यानिहाय माहिती त्वरीत पाठविण्यात यावी. जेणेकरुन शासनाकडून आर्थिक पूर्तत: करण्याकरीता प्रस्ताव पाठविण्यास मदत होईल.

३) मुख्य महाव्यवस्थापक (सांघिक वित्त), महावितरण, मुंबई.

**प्रत रवाना :- प्रेषण यादिप्रमाणे.**

**शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्रमांक – एससीवाय- २०१५/ प्र.क्र.३११/म-७**

**दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०१५**

**सन २०१५-१६ सालातील खरीप पिकांच्या हंगामी पैसेवारीचा गोषवारा**

**परिशिष्ट –"अ"**

| अ.क्र. | विभाग | जिल्हा | पैसेवारी जाहीर केलेली गावे | ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेली गावे | ५० पैशांपेक्षा जास्त पैसेवारी असलेली गावे |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कोकण | ठाणे | ९०७ | ० | ९०७ |
| | | पालघर | ९८२ | ० | ९८२ |
| | | रायगड | १८८९ | ० | १८८९ |
| | | रत्नागिरी | १५१३ | ० | १५१३ |
| | | सिंधुदुर्ग | ७३७ | ० | ७३७ |
| | **एकूण** | | **६०२८** | **०** | **६०२८** |
| २ | नाशिक | नाशिक | १९६० | १५७७ | ३८३ |
| | | धुळे | ६७६ | ६१४ | ६२ |
| | | नंदुरबार | ८८५ | ८८५ | ० |
| | | जळगांव | १५०१ | १२५८ | २४३ |
| | | अहमदनगर | ५८२ | ५३५ | ४७ |
| | **एकूण** | | **५६०४** | **४८६९** | **७३५** |
| ३ | पुणे | पुणे | १३०२ | ७६ | १२२६ |
| | | सातारा | १४९० | ३४३ | ११४७ |
| | | सांगली | ६३१ | ३६३ | २६८ |
| | | सोलापूर | प्रामुख्याने रब्बी जिल्हा असल्याने खरीप पिकांची पैसेवारी जाहीर केली जात नाही. | | |
| | | कोल्हापूर | १२१२ | ० | १२१२ |
| | **एकूण** | | **४६३५** | **७८२** | **३८५३** |
| ४ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | १३५३ | १३५३ | ० |
| | | जालना | ९६९ | ९६९ | ० |
| | | परभणी | ८४८ | ८४८ | ० |
| | | हिंगोली | ७०७ | ७०७ | ० |
| | | नांदेड | १५६२ | १५६२ | ० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | बीड | १४०३ | १४०३ | ० |
| | | लातूर | ९४३ | ९४३ | ० |
| | | उस्मानाबाद | ७३७ | ७३७ | ० |
| | **एकूण** | | **८५२२** | **८५२२** | **०** |
| अ.क्र. | विभाग | जिल्हा | पैसेवारी जाहीर केलेली गावे | ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेली गावे | ५० पैशांपेक्षा जास्त पैसेवारी असलेली गावे |
| ५ | अमरावती | अमरावती | १९८१ | ० | १९८१ |
| | | अकोला | ९९७ | ५५ | ९४२ |
| | | यवतमाळ | २०५३ | २ | २०५१ |
| | | बुलडाणा | १४२० | ० | १४२० |
| | | वाशिम | ७९३ | ० | ७९३ |
| | **एकूण** | | **७२४४** | **५७** | **७१८७** |
| ६ | नागपूर | नागपूर | १७९८ | १११ | १६८७ |
| | | वर्धा | १३४० | ० | १३४० |
| | | भंडारा | ८४६ | ० | ८४६ |
| | | गोंदिया | ९२१ | ० | ९२१ |
| | | चंद्रपूर | १६६३ | ० | १६६३ |
| | | गडचिरोली | १४५२ | ३६७ | १०८५ |
| | **एकूण** | | **८०२०** | **४७८** | **७५४२** |
| **राज्याची एकूण** | | | **४००५३** | **१४७०८** | **२५३४५** |